राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ 8(1)रा.मे.से.रि./आई.आर./श्रम/01/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 9-11.2020

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (XI of 1948), की धारा–13 की उपधारा 1 के क्लॉज (a) सपठित विक्रय संवर्धन (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (XI of 1976), की धारा–6 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान राज्य के दवा क्षेत्र के विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य के घण्टे निर्धारित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2020 जिसका प्रकरण दिनांक 01.10.2020 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) में हुआ है, के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किये जाने के पश्चात राज्य सरकार नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राज्य के दवा विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए कार्य के घण्टे निम्नानुसार निर्धारित करती है:–

कार्य के घण्टे

प्रातः 10:00 से शाम 4:00 बजे तक तथा शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे तक (जिसमें प्रातः 10:00 से 11:00 एक घण्टा तैयारी व लिखित कार्य के लिए व 3:00 से 4:00 एक घण्टा भोजन अवकाश)	नगर निगम क्षेत्र जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज), जोधपुर(उत्तर/दक्षिण), कोटा(उत्तर/दक्षिण), उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर व नगर परिषद क्षेत्र अलवर।
प्रातः 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (जिसमें प्रातः 11:00 से 12:00 एक घण्टा तैयारी व लिखित कार्य के लिए व 3:00 से 4:00 एक घण्टा भोजन अवकाश)	राजस्थान के उपरोक्त नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में।

राज्यपाल के आदेश से,

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।

क्रमांक एफ 8(1)रा.मे.से.रि./आई.आर./श्रम/01/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 9-11.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को साधारण राज पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राज0, जयपुर।
5. संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)।
6. उप निदेशक (ए.सी.पी.) आई.टी सेल मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से कराने का श्रम करें।
7. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।